कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ–राजस्थान

क्रमांक : एफ 8(भूमि)( )2024 / दिनांक

–:कार्यालय आदेश :–

नगरपरिषद हनुमानगढ के द्वारा श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री हजारीराम निवासी वार्ड नं0 26 चक नं0 14एचएमएच हनुमानगढ टाउन ने अपनी कृषि भूमि **चक नं0 14एचएमएच पत्थर नं0 139/276 (10) किला नं0 1/1/0.228, 1/2/0.025 (खाला), 2/1/0.228, 2/2/0.025 (खाला), 9/ 0.253, 10/0.253, 11/1/ 0.2147, 20/2/0.0456 यानि 1.2723 हैक्टेयर का कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ** भूमि ने श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी/ आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ के पत्रांक 13462–13465 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा जारी 90ए की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक 987 दिनांक 14.09.2023 द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है। उक्त भूमि पर कॉलोनोनाईजर /खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सडक/ बिजली/पानी/पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एनओसी बाबत श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक 987 दिनांक 14.09.2023 को मध्यनजर रखते हुए तथा कॉलोनोनाईजर द्वारा लिखित अन्डर टेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि निहित समयावधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के **भूखण्ड संख्या बी–34, बी–35, बी–36, बी–37 प्रत्येक साईज 26गुणा55 फुट, बी–42 साईज 35गुणा55 फुट, बी–41 साईज 28गुणा55 फुट कुल 06 भूखण्ड परिषद के पास रहन (प्लज) रखेगे।** निहित अवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में रहन शुदा प्लाट परिषद द्वारा विक्रय कर आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनोनाईजर /खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यो, अन्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तो के साथ जारी किया जाता है :–

1. स्वीकृत ले –आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सडक, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सीवरेज, ड्रेनेज, सुविधा क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर करवाये जावेगे और इस संबंध मे परिषद किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।
2. कोलोनाईजर /खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कोलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय सामाचार पत्रों मे स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
3. समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार **भूखण्ड संख्या बी–34, बी–35, बी–36, बी–37 प्रत्येक साईज 26गुणा55 फुट, बी–42 साईज 35गुणा55 फुट, बी–41 साईज 28गुणा55 फुट कुल 06 भूखण्ड परिषद के पास रहन (प्लज)** रहेगें। कोलोनाईजर /खातेदार द्वारा ज्यों–ज्यो विकास कार्य पूर्ण करवाये जावेगें, परिषद द्वारा मौका

निरीक्षण करवाकर विकास कार्यो के प्रमाणिकरण अनुसार रहन शुदा प्लाट त्यों-त्यों रहन मुक्त किये जावेगे। नियत समयावधि मे आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नही होने की दशा मे परिषद द्वारा रहन शुदा प्लाट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सके।

4 संबंधित खातेदार/ खातेदारो पर 100/- रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डो के विरूद्ध बेचान आदि करने पर नगरपरिषद हनुमानगढ द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।

5 रहन रखे गये भूखण्डो के अलावा अन्य भूखण्डो को स्वीकृत प्लान के अनुसार बेचान करे तथा आवंटियो को निर्धारित प्रारूप मे आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 100 रूपये के स्टाम्प पर कार्यालय मे प्रस्तुत की जावे।

आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ

क्रमांक:- एफ 8(भूमि) ( ) 2024/ 24079 - 24081 दिनांक 05/03/24

प्रतिलिपि :-

1 खातेदार/ कोलोनाईजर्स श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री हजारीराम निवासी वार्ड नं0 26 चक नं0 14एचएमएच हनुमानगढ टाउन ।

2 भूमि शाखा, नगरपरिषद हनुमानगढ को रहन रखे गये भूखण्डो का नियमन नही करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ

Karshi bhumi 2164

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ–राजस्थान

क्रमांक : एफ.8(भूमि)( )2024 / दिनांक..............

–:कार्यालय आदेश :–

नगरपरिषद हनुमानगढ़ के द्वारा श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री हजारीराम निवासी वार्ड नं0 26 चक नं0 14एचएमएच हनुमानगढ़ टाउन ने अपनी कृषि भूमि **चक नं0 14एचएमएच पत्थर नं0 139/276 (10) किला नं0 1/1/0.228, 1/2/0.025 (खाला), 2/1/0.228, 2/2/0.025 (खाला), 9/ 0.253, 10/0.253, 11/1/ 0.2147, 20/2/0.0456 यानि 1.2723 हैक्टेयर का कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ** भूमि में श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी/ आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ़ के पत्रांक 13462–13465 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा जारी 90ए की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक 987 दिनांक 14.09.2023 द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है। उक्त भूमि पर कॉलोनोनाईजर /खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क/ बिजली/पानी/पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एनओसी बाबत श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक 987 दिनांक 14.09.2023 को मध्यनजर रखते हुए तथा कॉलोनोनाईजर द्वारा लिखित अन्डर टेंकिग लेते हुए यह कथन किया गया है कि निहित समयावधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के **भूखण्ड संख्या बी–34, बी–35, बी–36, बी–37 प्रत्येक साईज 26गुणा55 फुट, बी–42 साईज 35गुणा55 फुट, बी–41 साईज 28गुणा55 फुट कुल 06 भूखण्ड परिषद के पास रहन (प्लज) रखेगे।** निहित अवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में रहन शुदा प्लाट परिषद द्वारा विक्रय कर आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनोनाईजर /खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यो, अन्डरटेंकिग के आधार पर निम्न शर्तो के साथ जारी किया जाता है :–

1 स्वीकृत ले –आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क, विधुतीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सीवरेज, ड्रेनेज, सुविद्या क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर करवाये जावेगे और इस संबंध में परिषद किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।

2 कोलोनाईजर /खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कोलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आश्य की सूचना दो स्थानीय सामाचार पत्रों में स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।

3 समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार **भूखण्ड संख्या बी–34, बी–35, बी–36, बी–37 प्रत्येक साईज 26गुणा55 फुट, बी–42 साईज 35गुणा55 फुट, बी–41 साईज 28गुणा55 फुट कुल 06 भूखण्ड परिषद के पास रहन (प्लज)** रहेगे। कोलोनाईजर /खातेदार द्वारा ज्यों–ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवाये जावेगे, परिषद द्वारा मौका

निरीक्षण करवाकर विकास कार्यो के प्रमाणिकरण अनुसार रहन शुदा प्लाट त्यो–त्यों रहन मुक्त किये जावेगें। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में परिषद द्वारा रहन शुदा प्लाट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकें।

4 संबंधित खातेदार/ खातेदारो पर 100/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डो के विरूद्ध बेचान आदि करने पर नगरपरिषद हनुमानगढ़ द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।

5. रहन रखे गये भूखण्डो के अलावा अन्य भूखण्डो को स्वीकृत प्लान के अनुसार बेचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 100 रूपये के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावे।

आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़
दिनांक 05/03/24

क्रमांकः– एफ.8(भूमि) ( ) 2024/ 24079 – 24081
प्रतिलिपि :–

1. खातेदार/ कोलोनाईजर्स श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री हजारीराम निवासी वार्ड नं0 26 चक नं0 14एचएमएच हनुमानगढ़ टाउन ।
2. भूमि शाखा, नगरपरिषद हनुमानगढ़ को रहन रखे गये भूखण्डो का नियमन नही करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़

Karshi bhumi 2164

कार्यालय नगरपरिषद हनुमानगढ़ – राजस्थान

क्रमांक : एफ.8(भूमि)( )2024–25 / 20773 दिनांक 28/3/25

श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री हजारीराम,
निवासी वार्ड नं0 26 चक नं0 14 एचएमएच हनुमानगढ़ टाउन।

विषय :– भूखण्ड संख्या बी–34, बी–35, बी–36, बी–37 प्रत्येक साईज 26गुणा55 फुट, बी–42 साईज 35गुणा55 फुट, बी–41 साईज 28गुणा55 फुट कुल 06 भूखण्ड को रहन मुक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2024 के संबंध में चक 14एचएमएच पत्थर नं0 139 / 276 (10) किला नं0 1 / 1 / 0.228, 1 / 2 / 0.025 (खाला), 2 / 1 / 0.228, 2 / 2 / 0.025 (खाला), 9 / 0.253, 10 / 0.253, 11 / 1 / 0.2147, 20 / 2 / 0.0456 यानि 1.2723 हैक्टेयर भूमि में आवासीय कालोनी जो कि इन्द्रलोक रेजीडेन्सी एक्सटेंशन के नाम से विकसित की जा रही है। श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन बीकानेर के द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान के निर्देशानुसार अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्माण कार्यो की समीक्षा वास्ते गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 18.03.2024 को कॉलोनी में चल रहे विकास कार्या का मौका निरीक्षण किया गया जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. **सड़क** :– इन्टरलोकिंग रोड़ का निर्माण लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण कर दिया गया है।
2. **पेयजल व्यवस्था** :– सभी सडको पर पेयजल पाईप लाईन डाली जा चुकी है। over head tank निर्माण प्रगति पर है।
3. **विद्युत व्यवस्था** :– विद्युत व्यवस्था हेतु कालोनी में विद्युत पोल व लाईन पूर्ण कालोनी में डाली जा चुकी है।
4. **निकासी व्यवस्था** :– सीवरेज पाईप लाईन व सीवरेज मैन होल का कार्य पूर्ण है।
5. **जनसुविधा** :–स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार छोड़े गये पार्क का विकास किया जा चुका है।

चूंकि आप द्वारा विकास कार्य करवाया जा चुका है। जिसकी पूर्णता की सुनिश्चिता के लिये कॉलोनाईजर के कुल बेचने योग्य में से 06 भूखण्ड बन्धक रखे गये थे। अब वर्तमान में विकास कार्यो को देखते हुए **भूखण्ड संख्या बी–37 साईज 26गुणा55 फुट, बी–42 साईज 35गुणा55 फुट, बी–41 साईज 28गुणा55 फुट कुल 03 भूखण्ड** बन्धक मुक्त किये जाते है।

(सुरेन्द्र सिह यादव)
आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद हनुमानगढ़ – राजस्थान

क्रमांक : एफ.8 (भूमि) ( ) 2024–2025/ 1327 दिनांक 08/05/2025

श्री सुखवीर पुत्र श्री हजारी राम जाति
जाट निवासी 7 टी के डब्लु ताखरांवाली जिला
श्रीगंगानगर राजस्थान

विषय :– भूखण्ड सं0 बी 34, बी–35, बी –36 साईज प्रत्येक 26 गुणा 55 फुट कुल 03 भूखण्ड को रहन मुक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2025 के संबंध में चक 14 एच एम एच पत्थर नं0 139/276 किला नं0 1/1/0.228, 1/2/0.025, (खाला) 2/1/0.228, 2/2/0.025 (खाला) 9/0.253, 10/0.253, 11/1/0.2147, 20/2/0.0456 कुल 1.2723 हैक्टर भूमि में आवासीय कोलोनी जो कि इन्द्रलोक रेजीडेन्सी के नाम से विकसित की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन बीकानेर के द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान के निर्देशानुसार अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्माण कार्यो की समीक्षा वास्ते गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 18.03.2024 को कोलोनी में चल रहे विकास कार्यो का मौका निरीक्षण किया गया जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1. **सडक :–** इन्टरलोकिंग रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
2. **पेयजल व्यवस्था :–** सभी सडको पर पेयजल पाईप लाईन डाली जा चुकी है वॉटर टैंक का निर्माण पूर्ण है।
3. **विद्युत व्यवस्था :–** विद्युत व्यवस्था हेतु कोलोनी में विद्युत पॉल व लाईन पूर्ण्ई कोलोनी में डाली जा चुकी है।
4. **निकासी व्यवस्था :–**सीवरेज पाईप लाईन एवं सीवरेज मैन हॉल का कार्य पूर्ण है।
5. **जन सुविधा :–** स्वीकृत ले आउट के अनुसार छोडे गये पार्क का विकास कार्य पूर्ण है।
6. **पौधारोपण :–** कोलोनी में पार्को एवं सडको पर पौधारोपण का कार्य पूर्ण है।
7. **वर्षा जल संगहण:–**रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण है।

चुंकि आप द्वारा विकास कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है जिसकी पूर्णता की सुनिश्चितता के लिये कोलोनाईजर के कुल बेचने योग्य में से 03 भूखण्ड बंधक रखे गये थे। अब वर्तमान में विकास कार्यो को देखते हुए, गठित समिति की अनुशंषा एवं प्रशासक महोदय की स्वीकृति के पश्चात भूखण्ड सं0 बी 34, बी–35, बी –36 साईज प्रत्येक 26 गुणा 55 फुट कुल 03 भूखण्ड बंधक मुक्त किये जाते है।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़

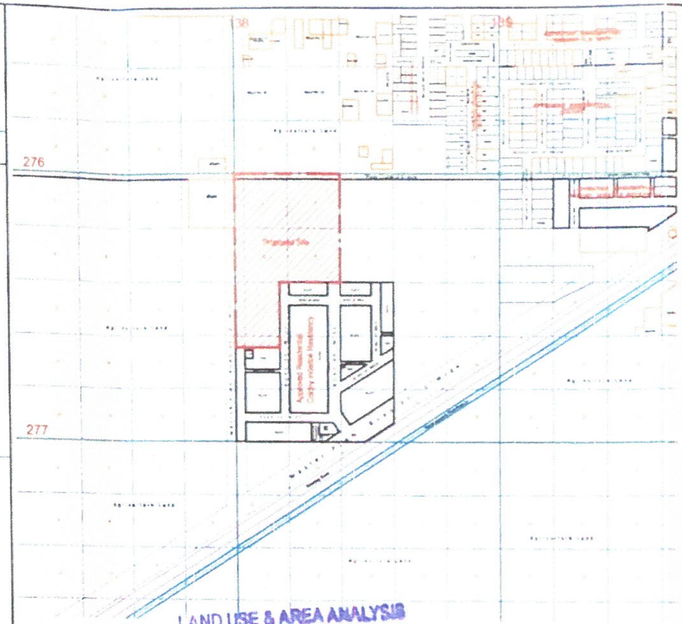

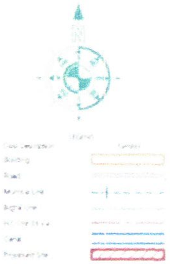

Ownwer's Land :-
136900.00 sqft. or 1.2723 hectare

Owner's Name:-
Mr. Sukhveer Singh S/O Mr. Hazari Ram

LAND USE & AREA ANALYSIS
CHECKED BY

Area Anlysis

Particular	Area sqft.	%
Residential	73260.00	53.51
Informal Sec.	2739.00	02.00
Mt. /Swd.	1037.50	00.76
Park	7013.50	05.13
Roads & Path	52850.00	38.60
Total	136900.00	100.00

1. सैटबेक मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे जावें।
2. एच.टी. लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावें।
3. भूमि के मौके पर माप, भू-स्वामित्व एवं न्यायिक वाद की जांच निकाय स्तर पर की जानी होगी।
4. समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र निकाय में निहित होंगे।
5. सुविधा क्षेत्रों का निस्तारण/क्रियान्वयन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार किया जावें।
6. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व मौके पर पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी।
7. स्वीकृत योजना में भूखण्ड संख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किया जावें।

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर परिषद हनुमानगढ़

सहायक नगर नियोजक
नगरपरिषद हनुमानगढ

आयुक्त
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

"A to F"
LAYOUT PLAN / ~~BUILDING PLAN~~ TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE
LETTER NO 987 DATED 14/3/23

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

LAY-OUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY " INDERLOK RESIDENCY EXTENSION " CHAK NO. 14 H.M.H., STONE NO. 139/276, MURBBA NO. 10, KILLA NO. 1/1 (0.228), 1/2(0.025 WATER COURSE), 2/1(0.228), 2/2(0.025 WATER COURSE), 9(0.253), 10(0.253), 11/1(0.2147), 20/2(0.0456) TOTAL=1.2723 HECTARE AT HANUMANGARH WN., DISTT:- HANUMANGARH (RAJ.)

ENGINEERS POINT
BRANCH OFFICE -SHOP NO. 62-63, NEAR HEAD POST OFFICE SRIGANGANAGAR ROAD, HANUMANGARH JN
MOB -80583-35789, 96676-48560